|| कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बांसवाड़ा ||

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा0शि0 ग्रेड–III/ सी.भ./एन.जे./2013–16 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृ0वे0श्रृं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2013 हेतु चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स L-10 पर चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नाकिंत आशार्थी को तृ.वे.श्रृं. शा.प्र.अनु. पद पर पे मैट्रिक्स L-10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 23700/– पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांक 29.03.2006 के पार्ट बी में वर्णित निर्देशो के अनुसार दिनांक **12.02.2018** को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें दिनांक **28.02..2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगें। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

01. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।

02. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।

03. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।

04. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करगें। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य नही पाई गयी तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

05. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

06. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई.(03 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति कर कार्यग्रहण नही करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेगें।

07. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेगें।

लगातार............2

08. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।

09. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें।

10. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धि प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/–रू. के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।

11. संस्था प्रधान अभ्यार्थि से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।

क्र. सं.	मेरिट नं.	वर्ग	आशार्थी का नाम , पिता का नाम व पता	जन्म तिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति आशार्थी का चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	R-1320	TSP ST	मोहनलाल चरपोटा / नानजी चरपोटा मु. पाटिया डूंगरा पो. मादलदा तह. गढी जिला बांसवाडा	02-01-1975	TSTM	रामावि नागदा बडी (कुशलगढ)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः–जिशिअ/मा/बांस/संस्था–1/फा.शाशि. नियुक्ति–2013/2017–18/320 दिनांकः–12.02.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मण्डल उदयपुर।
8. संबंधित संस्थाप्रधान..
9. सम्बन्धित आशार्थी श्री..
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा